International Journal of Education and Science Research Review
E-ISSN 2348-6457
Volume-9, Issue-2 March-April- 2022 P-ISSN 2349-1817
www.ijesrr.org Email- editor@ijesrr.org

"भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ में भूमिका"

विकास भड़िया
सहायक आचार्य (राजनीति विज्ञान)
राजकीय महिला महाविद्यालय, झुंझुनूं

सारांश :–

संयुक्त राष्ट्रसंघ की रचना अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना तथा युद्ध की विभीषिका रोकने के उद्देश्य से की गयी थी। भारत की मूल नीति युद्ध विरोधी एवं शांतिप्रियता की होने के कारण वह इस संस्था का प्रारम्भिक सदस्य बना और आज भी इसके अनेक संस्थानों एवं समितियों का सक्रिय सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम बैठक में ही भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि विश्व संस्था में वह एक नई शक्ति एवं दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति भारत के अटूट विश्वास की व्याख्या करते हुए सन् 1946 में जवाहर लाल नहेरू ने कहा था कि, ''संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा–पत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण हृदय तथा कार्यो से पूर्ण सहयोग एवं बिना संकोचपूर्ण समर्थन का है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत उसकी सभी गतिविधियों में भाग लेगा, जिससे उसकी भौगोलिक स्थिति, आबादी, और शांतिपूर्ण उन्नति में सहयोग मिल सके।

मुख्य शब्द :– सयुंक्त राष्ट्र संघ, महासभा, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों में भारतीय, निःशस्त्रीकरण, शांति मिशन।

संयुक्त राष्ट्र संघ सामान्य परिचय :–

- संयुक्त राज्य अमरीका के सेन फ्रांसिस्को नगर में 1 जनवरी 1942 को ब्रिटेन, सोवियत संघ, चीन तथा अन्य 26 मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें यह निर्णय हुआ कि ये राष्ट्र सम्मिलित होकर धुरी–राष्ट्रों का सामना करेगें। इस संगठन को 'संयुक्त राष्ट्र' अथवा 'यूनाइटेड नेशन्स' का नाम अमरीका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया। 1 जून 1945 को आगे चलकर जब सेनफ्रांसिस्कों में संयुक्त राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ तो इसके सदस्यों की संख्या 50 हो चुकी थी। पौलेण्ड का प्रतिनिधित्व अधिवेशन में नहीं हुआ था। उसने बाद में इस पर हस्ताक्षर किये और वह 51 सदस्य देशों में सम्मिलित हुआ।[1] आधिकारिक रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर, 1945 को अस्तित्व में आया। 24 अक्टूबर प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1946 से संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय न्यूयार्क में है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 193 है।[2]

संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर –

संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें 111 अनुच्छेद, 19 अध्याय और 10000 शब्द हैं। अनुच्छेद 1 संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापक उद्देश्यों को वर्णित करता है। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्न उद्देश्य हैं।[3]

- अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाये रखना।
- आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानवीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना।
- मानवाधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रताओं को विश्व के समस्त लोगों के लिए सुरक्षित करने में सहयोग प्रदान करना एवं राष्ट्रों के कार्यो एवं गतिविधियों के मध्य समन्वय स्थापित करना।

संयुक्त राष्ट्र संघ सिद्धांत –

संयुक्त राष्ट्र संध के चार्टर के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शन के लिए सात सिद्धांतों का उल्लेख है।[3]

- संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों की संप्रभु समानता के सिद्धांत पर आधारित है।
- चार्टर के द्वारा सदस्यों द्वारा ग्रहण किए गए सभी उत्तरदायित्वों का सदस्य राष्ट्रों द्वारा स्वेच्छा से पालन करना।
- अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और न्याय खतरे में न पड़े।
- सभी सदस्य ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे अन्य देशों की प्रादेशिक अखण्डता के लिये वे बल प्रयोग या उसकी धमकी के द्वारा, किसी प्रकार संकट उत्पन्न करें।
- सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र को हर सम्भव सहायता उपलब्ध कराएंगे तथा किसी ऐसे देश को किसी प्रकार की सहायता नहीं देंगें जिसके विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र कोई कार्यवाही कर रहा होगा।
- संयुक्त राष्ट्र इस बात का प्रयास करेगा कि जो देश संगठन के सदस्य नहीं है वे भी चार्टर के सिद्धांतों के अनुकूल आचरण करें।
- जो मामले मूल रूप से किसी भी देश के आंतरिक क्षेत्राधिकार में आते हैं उनमें संयुक्त राष्ट्र हस्तक्षेप नहीं करेगा।

संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता –

संयुक्त राष्ट्र चार्टर में दो प्रकार की सदस्यता का उल्लेख है।

- प्रथम कुछ देश तो प्रारम्भिक सदस्य हैं जिन्होनें 1 जनवरी, 1942 को संयुक्त राष्ट्र के घोषणा–पत्र पर हस्ताक्षर किये थे।
- द्वितीय, संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता उन सभी राष्ट्रों को भी उपलब्ध हो सकती है जो शांतिप्रिय हो एवं चार्टर में विश्वास रखते हों, जो चार्टर द्वारा निर्धारित कर्त्तव्यों को स्वीकार करते हों एवं जिनको यह संस्था इन कर्तव्यों का पालन करने के उपयुक्त समझती हैं।

महासभा के दो–तिहाई बहुमत और सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों की स्वीकृति से जिसमें 5 स्थायी सदस्य अवश्य हों संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त होती है।[4]

संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा –

- संयुक्त राष्ट्र घोषणा–पत्र के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं के रूप में अरबी, चाइनीज, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी एवं स्पेनिश है।
- संचिवालय के कामकाज में केवल अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा का प्रयोग किया जाता है।[5]

भारत संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न प्रमुख अंगों तथा उसकी विशिष्ट एजेन्सियों के साथ सक्रिय सहयोग करता रहता है एवमं संयुक्त राष्ट्र के आदर्शों के प्रति भारत की वचन बद्धता है। एशिया और अफ्रीका के विभिन्न देशों में उपनिवेशवाद के उन्मूलन की प्रक्रिया को गति देने के लिए भारत ने अथक प्रयास किए। कुछ देशों ने जैसे इण्डोनेशिया में, जहां साम्राज्यवादी शक्तियों ने स्वतंत्रता के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न की, भारत ने विश्व जनमत तैयार करने और उपनिवेशवाद की शीघ्र समाप्ति के लिए जोरदार अभियान चलाया। भारत ने सदैव ही उपनिवेशवाद की प्रणाली का विरोध किया। प्रधानमंत्री नेहरू ने तर्क दिया था कि विश्व शांति और प्रगति के लिए उपनिवेशवाद का अंत होना ही था।[6]

भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के उन 51 प्रारम्भिक सदस्यों में शामिल था जिन्होनें 01 जनवरी 1942 को वांशिगटन में संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा पर हस्ताक्षर किये एवम् 25 अप्रैल से 26 जून 1945, तक सेन फ्रांसिस्को में, ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन सम्मेलन में भी भाग लिया था।

संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य और सिद्धांतों का पुरजोर समर्थन करता है और चार्टर के उद्देश्यों को लागु करने, तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट कार्यक्रमों और एजेंसियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्वतंत्र भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी सदस्यता को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाये रखने की एक महत्वपूर्ण गारंटी के रूप में देखा, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के उपनिवेशवाद और रंगभेद के विरोध संघर्ष के अशांत दौर में सबसे आगे रहा। भारत औपनिवेशिक देशों और कोमो को आजादी दिए जाने के सबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ की ऐतिहासिक घोषणा 1960 का सह–संयोजक था जो उपनिवेशवाद के सभी रूपों को बिना शर्त समाप्त किए जाने की आवश्यकता की घोषणा करती है। भारत दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद और नस्ली भेदभाव के सर्वाधिक मुखर आलोचकों में से था। वस्तुतः भारत संयुक्त राष्ट्र संघ 1946 में इस मुद्दे को उठाने वाला पहला देश था और रंगभेद के विरूद्ध आम सभा द्वारा स्थापित उप समिति के गठन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। जब 1965 में सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन से सबंधित कन्वेंशन पारित किया गया था भारत सबसे पहले हस्ताक्षर करने वालों में शामिल था। गुट निरपेक्ष आंदोलन और ग्रुप 77 के संस्थापक सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ व्यवस्था में भारत की हैसियत विकासशील देशों के सरोकारों और आकांक्षाओं तथा अधिकाधिक न्याय संगत अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना के अग्रणी समर्थक के रूप में मजबूत हुई, भारत को दृढ़ विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय सबंधों के आदर्श जिसका उसने पोषण किया है आज की वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला करने के सर्वाधिक प्रभावी साधन

बने हुए है। भारत सभी प्रकार के आंतकवाद के प्रति असहिष्णुता के दृष्टिकोण का समर्थन करता है, आंतकवाद का मुकाबला करने के लिए एक व्यापक कानूनी रूप रेखा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत ने 1996 में अंतर्राष्ट्रीय आंतकवाद के सबंध में व्यापक कन्वेंशन का मसौदा तैयार करने की पहल की थी और उसे शीघ्र अतिशीघ्र पारित किए जाने के लिए कार्य कर रहा है।

शांति स्थापना और निःशस्त्रीकरण संयुक्त राष्ट्र संघ के अत्यधिक विशेष प्रयासों में शामिल हैं क्योंकि वे इस दुनिया को बेहतर स्थान बनाने के लिए संगठन के आश्वासन और सहज संभावना को साकार करते हैं। 43 शांति अभियानों में भागीदारी के साथ भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ शांति स्थापना अभियानों में भागीदारी का गौरवशाली इतिहास रहा है। भारत 1950 के दशक से ही इन शांति अभियानों में शामिल होता रहा है।

भारत परमाणु हथियारों से सम्पन्न एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जो परमाणु हथियारों को प्रतिबंधित करने और उन्हें समाप्त करने के लिए परमाणु अस्त्र कर्न्वेशन की स्पष्ट रूप से मांग करता रहता है। भारत समयबद्ध सार्वभौमिक निष्पक्ष चरणबद्ध और सत्यापन योग्य रूप में परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया का नक्शा प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। जैसा कि सन् 1998 मे आम सभा के निशस्त्रीकरण से सबंधित विशेष अधिवेशन में पेश की गई राजीव गाँधी कार्य योजना में प्रतिबिंबित होता है। आज भारत स्थायी और अस्थाई दोनों वर्गों में सुरक्षा परिषद के विस्तार के साथ–साथ संयुक्त राष्ट्र संघ सुधारों के प्रयासों में सबसे आगे है ताकि वह समकालीन वास्तविकता को प्रदर्शित कर सके।

भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ में भूमिका एक नजर में :–

→ भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक है।

→ 1953 मे विजय लक्ष्मी पंडित को संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की अध्यक्ष नियुक्त किया गया।[8]

→ अशोक लाहिरी हरदीप सिंह पुरी व सैयद अकबरूद्दीन संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रह चुके हैं।

→ संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के वर्तमान स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरूमूर्ति हैं।

→ 1950 और 1960 के बीच में भारत ने एशिया और अफ्रीका के उस समय तक पराधीन देशों की आजादी का समर्थन देशों का नेतृत्व किया।

→ दिलीप लाहिरी संयुक्त राष्ट्र संघ की नस्लीय भेदभाव उन्मूलन समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं।

→ चंद्रप्रकाश कांगों शांति अभियान में फोर्स कमांडर रह चुके हैं।

→ परनीत कौर संयुक्त राष्ट्र संघ में विमॅन शाखा के गठन के पश्चात महासभा को संबोधित करने वाली भारत की प्रथम महिला विदेश राज्य मंत्री हैं।

→ पी.एस. भगवती 2006 में चौथी बार संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार, समिति का सदस्य बनाया गया।

→ वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में भारत का योगदान 0.299 प्रतिशत है।

→ राजकुमारी अमृताकौर यूनेस्कों की अध्यक्ष रह चुकी है।

→ डॉ. चिंतामणि देशप्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख रह चुके हैं।

→ डॉ. पी.एल. कृपाल युनेस्कों के कार्यकारी मण्डल के अध्यक्ष रह चुके है।

→ मेजर जनरल रिखी संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव के सलाहकार रह चुके हैं।

→ जनरल थिमैया साइप्रस में शांति सेना के प्रमुख रहे हैं।

→ मेजर जनरल ज्ञानी गाजा में संयुक्त राष्ट्र संघ सेना के कमांडर रह चुके हैं।

→ डॉ. नगेन्द्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश एवं आर. एस. पाठक दलवीर भंडारी न्यायाधीश रह चुके हैं।[8]

→ कुमारी मीरा सेठ जून 1990 में यूनिसेफ कार्यकारी बोर्ड की प्रथम उपाध्यक्ष चुनी गई।

→ डॉ. पी.एस. राव 14 नवम्बर, 1991 को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य नियुक्त किये गए।

→ प्रकाश शाह 3 मार्च, 1998 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव कॉफी अन्नान ने इराक में विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया गया।

→ भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों में शामिल है भारतीय संविधान के अनु. 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने की बात की गई है।[9]

→ भारत अभी तक 8 बार आर्थिक व सामाजिक परिषद का सदस्य रह चुका है।

→ 1958 में अफ्रीका में निरीक्षक मण्डल का सदस्य भारत को बनाया गया था।

→ संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के 49 वें सत्र के उपाध्यक्ष पद हेतु भारत को चुना गया था।

→ राजकुमारी अमृताकौर को विश्व स्वास्थ्य संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

→ डॉ. राधाकृष्णन और मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनेस्को के प्रमुख रह चुके है।

→ डॉ. बी. आर. सेन विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन के प्रमुख के पद पर कार्य कर चुके है।

→ जगजीवन राम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 33 वें अधिवेशन के प्रमुख रहे हैं।

→ डॉ. होमी जहांगीर भाभा 1955 में अणुशक्ति के शांति में उपयोग के लिए गठित संयुक्त राष्ट्र संघ आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं।

→ अटल बिहारी वाजपेयी संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में हिन्दी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति हैं।

→ विजय नांबियार 3 मार्च 2008 को कॉफी अन्नान ने अपना विशेष दूत नियुक्त किया था।

→ न्याय मूर्ति, पी.एन. भगवती को 1999–2002 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार समिति में चुना गया।

→ शशि थरूर इन्होनें संयुक्त राष्ट्र संघ में अवर सचिव के पद पर कार्य किया है।

→ भारत ने 1963 में आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध संधि पर हस्ताक्षर किये हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से लायी गई।

→ अभी तक भारत आठ बार संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। 1950–51, 1965–66, 1972–73, 1977–78, 1984–85, 1991–1992, 2011–12, 2021–22।

→ मई 2006 को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार परिषद का अध्यक्ष चुना गया।

→ भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति स्थापना सबंधी अभियानों में योगदान देने वाला सबसे बड़ा देश है।

→ भारत ने जी–4 देशों के सदस्य के रूप में महासभा में 6 जुलाई 2005 को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का साझा दावा पेश किया है।

→ भारत शुरू से ही संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के विभिन्न मिशनों में शामिल होता रहा है। संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षा मिशनों में बड़ी संख्या में सैनिकों और पुलिस का योगदान देने वाले देशों में भारत का नाम भी शामिल है। भारत अब तक 43 शांति अभियानों के तहत 1,80,000 से अधिक भारतीय सैनिकों को भेज चुका है।

→ भारत लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला यूनिट का योगदान करने वाला एकमात्र देश है।

→ वर्तमान में चल रहे संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना के 14 मिशनों में से 7 मिशनों में भारतीय सशस्त्र बलों की मौजूदगी है।

→ भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा को संबोधित किया है।

निष्कर्षः–

भारत ने शांति स्थापना, निःशस्त्रीकरण, उपनिवेशवाद के उन्मूलन, नवीन सदस्यों के विश्व संस्था में प्रवेश आदि प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ पूर्ण सहयोग किया एवं उसके आदर्शों में अपना विश्वास प्रकट किया। वस्तुतः भारत की विदेश नीति के लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों से मिलते–जुलते है। भारत युद्ध से स्वयं बचना चाहता है और दूसरे देशों को भी इस भयंकर स्थिति से बचाना चाहता है। भारत का यह स्पष्ट मत है कि विश्व–शांति की कल्पना

संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना नहीं की जा सकती। यह एक ऐसी संस्था है जो विश्व को भय, अभाव व रोग से मुक्ति दिला सकती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किये गये शांतिमय कार्यों, वैज्ञानिक अनुसंधानों, आर्थिक एवं सामाजिक कार्यों में हिस्सा लिया है। भारत ही सम्भवतः एकमात्र ऐसा देश है जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा या उल्लघन नहीं किया है। उदाहरणार्थ – कश्मीर के प्रश्न पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों को स्वीकार किया है।

संदर्भ सूची

1. वी.एन.खन्ना, लिपाक्षी अरोड़ा – भारत की विदेश नीति, विकास पब्लिशिंग हाऊस प्रा.लि. नई दिल्ली पृ.सं. 287
2. डॉ. बी.एल.फड़िया – अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, सिद्धांत एवं समकालीन मुद्दे, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा, पृ. सं. 57
3. प्रो. बी.एम.जैन – अंतर्राष्ट्रीय सबंध, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर पृ.सं. 31
4. वी.एन. खन्ना, लिपाक्षी अरोड़ा – भारत की विदेश नीति, विकास पब्लिशिंग हाऊस प्रा.लि. नई दिल्ली पृ. सं. 288–89
5. डॉ.बी.एल. फडिया – अंतर्राष्ट्रीय सबंध, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स आगरा पृ. सं. 43
6. डॉ. राजेश मिश्रा – राजनीति विज्ञान (एक समग्र अध्ययन), सरस्वती पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली पृ.सं. 459
7. वी.एन.खन्ना, लिपाक्षी अरोड़ा – भारत की विदेश नीति, विकास पब्लिशिंग हाऊस प्रा.लि. नई दिल्ली पृ.सं. 294
8. डॉ. बी.एल. फड़िया – अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिः सिद्धांत एवं समकालीन मुद्दे, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा पृ.सं. 360
9. वी.एन.खन्ना, लिपाक्षी अरोड़ा – भारत की विदेश नीति, विकास पब्लिशिंग हाऊस प्रा.लि. नई दिल्ली पृ.सं. 283